न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जगदीश नारायण मथुरिया, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 103 / 2009 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :– 2009 / 00076

उनवान

1. भूरी पुत्र स्व0 राम सिंह
2. चरनदेई } पुत्रियान स्व0 रामसिंह
3. माया }
4. अंगूरी वेवा रामभरोसी
5. रामजीलाल उर्फ रमजी पुत्र रामभरोसी
6. मंजू पुत्री रामभरोसी
7. निरोती उम्र 12 साल पुत्र रामभरोसी } नाबालिगान जरिये सरपरस्ती
8. बीधो उम्र 17 साल } माता खुद मुसम्मात अंगूरी वेवा
9. भगवानदेई उम्र 16 साल } पुत्रियान स्व0 रामभरोसी } रामभरोसी।
10. जयश्री उम्र 14 साल }

समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम नकटपुरा मजरा रजौरा तहसील धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. विरमादेई वेवा रतना
2. महेश } पुत्र रतना
3. कप्तान } पुत्र रतना
4. नत्थी } पुत्र रतना

जाति कुशवाह नि0 ग्राम नकटपुरा मजरा रजौरा हाल निवासी ग्राम पूंठपुरा मजरा नेकपुर तहसील धौलपुर।

5. मलोदा } पुत्रीयान रतना
6. सरोज } पुत्रीयान रतना
7. मुन्नी वेवा रामस्वरूप
8. सोवरन पुत्र कमला
9. बालगोविन्द पुत्र कमला
10. शिवदेई } पुत्रियान कमला
11. गूदो } पुत्रियान कमला
12. वैजनाथ पुत्र रामचरन
13. राजेन्द्र
14. प्रकाश

जातिगण कुशवाह निवासीगण नकटपुरा मजरा रजौरा तहसील धौलपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15. चौहान पुत्र
16. रिमिला पुत्री } स्व0 गिर्राज जाति जाट निवासीगण ग्राम सरानी तहसील धौलपुर।
17. श्रीमती चन्द्रकला वेवा
18. नेनुका
19. मोतीराम } पुत्रगण वेदो
20. गुलकन्दी
21. नत्थी
22. अतर सिंह } पुत्रगण लीला
23. गोता पुत्री लीला
24. भग्गो वेवा सोरन
25. भूरा उम्र 17 साल
26. देशराज उम्र 15 साल } पुत्र सोरन } नाबालिगान जरिये सरपरस्ती माता खुद मुस0
27. गुडिया उम्र 8 साल पुत्री सोरन } भग्गो वेवा सोरन।
28. रामे पुत्र चित्तर कौम कुशवाह निवासी ग्राम नकटपुरा तहसील धौलपुर।
29. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार साहब धौलपुर।

समस्त जाति कुशवाह निवासीगण नकटपुरा मजरा रजौरा तहसील धौलपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 सहायक कलक्टर(मु0)धौलपुर दिनांक 12.08.2009 प्र.सं. 34/2008 उनवानी कलवो बनाम रतना।

उपस्थितिः—

1. श्री दीनदयाल शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री भगवान सिंह नारौलिया वकील रेस्पोडेण्ट।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक—16.11.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरार हक, बॅटवारा व हुक्म इम्तनाई दवामी इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम नकटपुरा तहसील व जिला धौलपुर के वादीगण/अपीलाण्ट 4/15 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं तथा मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजीयात के

पूर्व में अभिलिखित खातेदार काश्तकार वादीगण/अपीलाण्ट एवं प्रतिवादीगण/रैस्पो0 के पूर्वज स्व0 हीरालाल पुत्र गोदे थे। स्व0 हीरालाल के निधन के बाद उनके तीनो पुत्र राम सिंह, कमला, रामचरन व हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हुये। राम सिंह का पुत्र रतना बहुत ही चालाक व बेईमान किस्म का आदमी था और उसने राजस्व कर्मचारियों से साज कर विवादित आराजीयात का विरासत का दाखिल खारिज स्व0 हीरालाल के बजाय उनके पुत्र राम सिंह को फौत दिखाते हुये राम सिंह का अकेला वारिस बनकर अपने नाम 1/3 हिस्से का तथा कमला व रामचरन के नाम 2/3 हिस्से का दाखिला खुलवा लिया और स्व0 राम सिंह के 1/3 हिस्से को अकेले अपने नाम करवा लिया जो कि बिल्कुल गलत एवं गैर कानूनी एवं अवैध है। रतना ने उक्त गलत इन्द्राजों का लाभ देते हुये विवादित आराजीयात में से कुछ खसरा नम्बर दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर दिये हैं, जो कि वादीगण/अपीलाण्ट के मुकाबले गलत एवं खिलाफ कानून हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात में से 4/15 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं प्रस्तुत साक्ष्य/ दस्तावेजों के आधार पर अपीलाधीन आदेश से वादीगण/अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। अभिभाषक रैस्पो0 एवं रैस्पो0 को बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद भी उपस्थित नहीं आये। अभिभाषक रैस्पो0 को दिनांक 16.11.2018 तक लिखित बहस का अवसर प्रदान करते हुये, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुये, जवाबी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य का सही विश्लेषण नही कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात के स्व0 हीरालाल तन्हा खातेदार काश्तकार थे जिनके तीन पुत्र रामसिंह, रामचरन एवं कमला थे। कमला व रामचरन के हिस्से का कोई विवाद नहीं है। हीरालाल के तीसरे पुत्र राम सिंह के हिस्से का विवाद है। राम सिंह के वारिसान में तीन पुत्र रतना, भूरी, रामभरोसी तथा दो पुत्रियॉ चरनदेई व माया व एक विधवा कलवो थी। दौराने दावा कलवो का निधन हो चुका है। उनके वारिसान पुत्रगण एवं पुत्रियॉ हैं। हीरालाल के पुत्र रतना ने राजस्व कर्मचारियो से साज कर हीरालाल के पुत्र कमला व रामचरन को जिन्दा दिखाते हुये 2/3 हिस्से का तथा तीसरे पुत्र राम सिंह को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फौत बताते हुये राम सिंह के सभी वारिसान (अपीलाण्ट/वादीगण) के बजाय अकेले एक पुत्र रतना के नाम शेष 1/3 हिस्से का दाखिला खारिज खुलवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी, दाखिल खारिज जो कि प्रदर्श 1 लगायत 9 पेश की है तथा सजरा हीरालाल मृतक पेश किया है और मौखिक साक्ष्य में वादी भूरी का बयान एवं दो स्वतन्त्र गवाहान के बयान कराये गये हैं जिनसे वादीगण/अपीलाण्ट का दावा पूर्ण रूप से सिद्ध कराया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर विश्वास ना करते हुये सरसरी तौर पर दावा वादीगण/अपीलाण्ट खारिज करने में भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनने के उपरान्त अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर तनकीवार एवं विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं एवं ना ही स्वयं को रामसिंह का वारिस होना ही साबित कर पाये हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित 9 तनकियॉ कायम की गयी है। तनकीवार विवेचना निम्न प्रकार हैः—

6. **तनकी संख्या 01 लगायत 04**, उक्त तनकियों को सिद्ध करने का भार अपीलाण्ट/वादीगण पर था। चारों तनकियॉ एक—दूसरे की पूरक होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त चारों तनकियों को एक साथ निस्तारित किया है। अपीलाण्ट/वादीगण स्वयं को स्व0 राम सिंह के वारिस होना बताते हुये विवादित आराजी में 4/15 हिस्से के खातेदार काश्तकार होने का दावे करते हैं। परन्तु अपीलाण्ट/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, जिससे अपीलाण्ट/वादीगण स्व0 रामसिंह के वारिस साबित होते हों। स्वयं को स्व0 राम सिंह के वारिस होने के संबंध में उनके द्वारा सिर्फ मौखिक साक्ष्य करायी गयी है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलाण्ट के विवादित आराजी में कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त विवादित आराजी स्व0 हीरालाल से कमला व रामचरन पर प्रकान्त हुयी है। अपीलाण्ट/वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें विवादित आराजी में राम सिंह सहकृषक दर्ज हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. **तनकी संख्या 05 लगायत 07**, अधीनस्थ न्यायालय की इन तनकी विवेचना में भी हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। चूंकि तनकी संख्या 01 लगायत 04 की विवेचना में अपीलाण्ट/वादीगण के विवादित आराजीयात में कोई हित व स्वत्व होना सिद्ध नहीं हुआ है। अतः अपीलाण्ट/वादीगण विवादित आराजी बाबत् हुये वयनामो को अवैध एवं निष्प्रभावी घोषित करा पाने के अधिकारी नहीं बनतें। अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा विवादित आराजीयात के विक्रय होने के उपरान्त वाद दायर किया गया है एवं वयनामें निरस्त किये जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर दीवानी न्यायालय को है।

8. **तनकी संख्या 08**, जैसा कि तनकी संख्या 01 लगायत 04 की विवेचना में आ चुका है, अपीलाण्ट/वादीगण विवादित आराजी में अपने खातेदारी अधिकार व कब्जा सिद्ध नहीं कर पाये हैं, तो वह विवादित आराजी के विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं रहते हैं।

9. **अनुतोष** :– सभी तनकियों का निस्तारण किया जा चुका है। सभी तनकियॉ विरूद्ध अपीलाण्ट/वादीगण पाई गयी हैं। अपीलाण्ट/वादी अपने जिम्में की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। अतः अपीलाण्ट के पक्ष में किसी प्रकार का मामला नही बनता है। हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नही पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से उपलब्ध साक्ष्य की पूर्ण विवेचना करते हुए, तनकीवार सुस्पष्ट निर्णय पारित किया है, जो तर्कसंगत है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2009 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 16.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(जगदीश नारायण मथुरिया)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर